न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 35 / 2022
निर्णय दिनांक: 19.05.2025
पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज जाति नट निवासी ग्राम हरसूलिया तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र जमनालाल जाति खटीक निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा अधिवक्ता वादी

वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 एल0आर0 एक्ट. 1955

निर्णय दिनांक:– 19.05.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नीमेडा के सम्बन्ध मे दिनांक 29.07.2022 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक / LR / 25 / 1307 दिनांक 15.04.2025 के द्वारा नक्शे – कुरेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुरेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नही की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुरेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा – कुरेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुरेजात को गलत माननें का कोई आधार नही है। वादी का वाद मुताबिक नक्शा – कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला- (जयपुर)

लगातार................2

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	**चिरंजीलाल पुत्र जमनालाल हि0 पूर्ण जाति खटीक सा0 देह**	2390 2386 2387 2388 2341	0.2276 0.1897 0.0253 0.0126 0.1107		
	योग	किता 05	0.5659		
2	**राधेश्याम पुत्र जमनालाल हि0 पूर्ण जाति खटीक सा0 देह खातेदार राहिन हि0 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लिमिटेड शाखा फागी**	2342/1 2345 2341/2	0.1960 0.2529 0.1170		
3.	**महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज हि0 पूर्ण जाति नट नि0 हरसूलिया तहसील जयपुर खातेदार**	2341/3 2343 2344 2342/2	0.1517 0.5437 0.2403 0.1960		
	योग	किता 4	1.1319		

नोट :– ख़ातेदार राधेश्याम पुत्र जमनालाल हि0 पूर्ण जाति खटीक सा0 देह खातेदार राहिन हि0 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लिमिटेड शाखा फागी ने अपनी सम्पूर्ण आराजी वादी महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज हि0 पूर्ण जाति नट नि0 हरसूलिया तहसील जयपुर खातेदार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2025 को विक्रय कर दी है। इसलिये उक्त वाद मे से खातेदार राधेश्याम पुत्र जमनालाल का नाम हजफ किया गया। अतः खातेदार राधेश्याम पुत्र जमनालाल हि0 पूर्ण जाति खटीक सा0 देह खातेदार राहिन हि0 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लिमिटेड शाखा फागी के नाम दर्ज हिस्से की आराजी का नामान्तकरण क्रेता महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज हि0 पूर्ण जाति नट नि0 हरसूलिया तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर के मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय नामान्तकरण खोलने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। साथ ही नक्शा कुरेजात अन्तिम डिक्री में राधेश्याम का हिस्सा वादी महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज के हिस्से में समायोजित कर निर्णय व डिक्री की पालना नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/5/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी, फागी

महेन्द्रराज बनाम चिरंजीलाल वगै0
मु0न0:— 35 / 2022
निर्णय दिनांक:— 19.05.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास— **राकेश कुमार ii (आर.ए.एस.)**

उनवान

1. महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज जाति नट निवासी ग्राम हरसूलिया तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1 चिरंजीलाल पुत्र जमनालाल जाति खटीक निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

::— वाद घोषणा व स्थाई निषेघाज्ञा ::—

मु0न0:— 35 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है **अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा — कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होगे।**

निज........मुबलिग..............................बाबत..........
..............................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..............
.........फीसदी.........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...........
का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.05.2025 को जारी की गई।

दस्तखत......................

मुहर

ओहदा...................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

कृ0प0उ0

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला— (जयपुर)

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	चिरंजीलाल पुत्र जमनालाल हि0 पूर्ण जाति खटीक सा0 देह	2390 2386 2387 2388 2341 / 1	0.2276 0.1897 0.0253 0.0126 0.1107		
	योग	किता 05	0.5659		
2	राधेश्याम पुत्र जमनालाल हि0 पूर्ण जाति खटीक सा0 देह खातेदार राहिन हि0 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लिमिटेड शाखा फागी	2342 / 1 2345 2341 / 2	0.1960 0.2529 0.1170		
3.	महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज हि0 पूर्ण जाति नट नि0 हरसूलिया तहसील जयपुर खातेदार	2341 / 3 2343 2344 2342 / 2	0.1517 0.5437 0.2403 0.1960		
	योग	किता 4	1.1319		

नोट :— खातेदार राधेश्याम पुत्र जमनालाल हि0 पूर्ण जाति खटीक सा0 देह खातेदार राहिन हि0 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लिमिटेड शाखा फागी ने अपनी सम्पूर्ण आराजी वादी महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज हि0 पूर्ण जाति नट नि0 हरसूलिया तहसील जयपुर खातेदार को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2025 को विक्रय कर दी है। इसलिये उक्त वाद मे से खातेदार राधेश्याम पुत्र जमनालाल का नाम हजफ किया गया। अतः खातेदार राधेश्याम पुत्र जमनालाल हि0 पूर्ण जाति खटीक सा0 देह खातेदार राहिन हि0 (पूर्ण खाता) ICICI बैंक लिमिटेड शाखा फागी के नाम दर्ज हिस्से की आराजी का नामान्तकरण क्रेता महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज हि0 पूर्ण जाति नट नि0 हरसूलिया तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर के मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय नामान्तकरण खोलने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। साथ ही नक्शा कुरेजात अन्तिम डिक्री में राधेश्याम का हिस्सा वादी महेन्द्रराज पुत्र प्रतापराज के हिस्से में समायोजित कर निर्णय व डिक्री की पालना नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला—जयपुर

19/5/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर